कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 135/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट
थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

मारपीट/जानलेवा हमले के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास–
दिनांक 14.03.2026 को वादी रामनाथ गौड़ पुत्र रूपनारायण निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोप है कि विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर वादी की दुकान पर आकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी व राड से मारपीट कर घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। उक्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस बनाम नामजद व अन्य अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 117(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।
गिरफ्तारी का विवरण–
दिनांक 05.04.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह हे0का0 राममूरत यादव द्वारा क्षेत्र में गश्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जिलाजीत उर्फ दिल्लू उर्फ अजीत यादव पुत्र रामजतन यादव निवासी ग्राम ध्यानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को छितौनी तिराहा से समय करीब 11:00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद लाठी ग्राम कनैला स्थित वादी की दुकान के पीछे से बरामद की गई। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 102/26 धारा 115(2), 352, 351(3), 117(2), 109(1), 3(5) बीएनएस थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त–
जिलाजीत उर्फ दिल्लू उर्फ अजीत यादव पुत्र रामजतन यादव निवासी ग्राम ध्यानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।
बरामदगी–
एक लाठी।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार
2. हे0का0 राममूरत यादव

   थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट
थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

- **साइबर हेल्पडेस्क की तत्परता से 4000 रुपये वापस कराए गए**
- **फोनपे के माध्यम से गलती से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए थे पैसे**
- **बैंक समन्वय से पीड़िता को मिली राहत**

शिकायतकर्ता शशिकला यादव पत्नी वरनित यादव निवासी ग्राम रसूलपुर जोखू थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 20.06.2025 को फोनपे के माध्यम से लेनदेन करते समय गलतीवश 4000 रुपये अज्ञात व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित हो गए थे। इस संबंध में शिकायतकर्ता के पति द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत पंजीकृत कराई गई, जिसका शिकायत संख्या 33106250066138 है।
उक्त शिकायत पर साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर विपक्षी के खाते का विवरण प्राप्त किया गया तथा शाखा प्रबंधक से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए शिकायतकर्ता के 4000 रुपये उनके खाते में वापस कराए गए।
इस त्वरित कार्रवाई से पीड़िता द्वारा आजमगढ़ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।
साइबर पुलिस टीम
- उ0नि0 दयानन्द, का0 दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा, म0का0 पूजा पाण्डेय, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

□साइबर फ्रॉड के 25,000 रुपये पीड़ित को वापस कराए गए
□.APK फाइल के माध्यम से हुई ठगी का पुलिस ने किया सफल अनावरण

पूर्व की घटना–
दिनांक 31.08.2025 को आवेदक सर्फराज अंसारी पुत्र अनवर अंसारी निवासी ग्राम रसूलपुर जयद्रथयति थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 25,000 रुपये की साइबर ठगी हो गई थी। घटना की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत संख्या 33109250108133 पंजीकृत कराई गई।
रिफंड/कार्यवाही का विवरण–
उक्त शिकायत पर थानाध्यक्ष गम्भीरपुर के निर्देशन में साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि आवेदक के मोबाइल में एक .APK फाइल इंस्टॉल हो जाने के कारण खाते से धनराशि डेबिट हो गई थी। तत्पश्चात आवेदक के मोबाइल को स्कैन कर उक्त .APK फाइल को अनइंस्टॉल कराया गया तथा फ्रॉड की गई धनराशि को संबंधित खाते में फ्रीज कराया गया।
साइबर टीम द्वारा निरंतर समन्वय एवं विधिक कार्रवाई के फलस्वरूप ठगी की सम्पूर्ण धनराशि 25,000 रुपये आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई। आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
साइबर सेल टीम–
1. थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार सिंह
2. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी
3. म0का0 सुषमा सरोज

➡ **आमजन से अपील:** किसी भी अज्ञात लिंक/एप (.APK फाइल) को डाउनलोड न करें तथा साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना दें।

प्रेस नोट
थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

• जान से मारने की नियत से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
• लोहे की रॉड से हमला कर दो महिलाओं को किया था घायल
• पुलिस की त्वरित कार्रवाई में वांछित अभियुक्त दबोचा गया

घटना का विवरण –
दिनांक 01.04.2026 को वादिनी पूनम पत्नी रामपलट निवासी ग्राम अनंतपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 26.03.2026 को समय लगभग 10:00 बजे आबादी की भूमि पर ईंट रख रही थीं, तभी विपक्षी प्रिंस कुमार पुत्र राजकिशोर निवासी उपरोक्त हाथ में लोहे की रॉड लेकर आया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। शोर सुनकर उनकी पुत्री पायल व भांजी सपना बचाने आईं, तभी अभियुक्त की माता गीता देवी व अन्य परिजन भी मौके पर आ गए और मिलकर हमला किया। इस दौरान अभियुक्त द्वारा पायल के सिर पर रॉड से प्रहार किया गया जिससे उसका सिर फट गया तथा सपना के गाल पर भी वार कर उसे घायल कर दिया गया। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। साथ ही विपक्षियों द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 79/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।
गिरफ्तारी का विवरण –
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.04.2026 को उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय मय हमराह क्षेत्र में वांछित अभियुक्त की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि वांछित अभियुक्त प्रिंस कुमार ग्राम अनंतपुर व सरायपोही के मध्य स्थित बगीचे में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रिंस कुमार पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम अनंतपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष बताया। अभियुक्त को नियमानुसार कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10:45 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पंजीकृत अभियोग –
मु0अ0सं0 79/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त –
प्रिंस कुमार पुत्र राजकिशोर निवासी ग्राम अनंतपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –
• उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय
• का0 विक्रांत विश्वकर्मा
• का0 राहुल कुमार सिंह
थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक – 05.04.2026

• झाड़ू लगाने के विवाद में मारपीट, महिला की उपचार के दौरान मृत्यु
• प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
• सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत, विधिक कार्यवाही प्रचलित

घटना का विवरण –
दिनांक 04.04.2026 को वादिनी पूजा यादव पुत्री सुरेन्द्र यादव निवासी ग्राम हैबतपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 02.04.2026 को समय लगभग 07:00 बजे झाड़ू लगाने के विवाद को लेकर विपक्षीगण रिमा, मनोरमा, रोहित यादव, मोहित यादव व डब्बू यादव निवासीगण ग्राम हैबतपुर द्वारा वादिनी एवं उसकी माता सावित्री यादव के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा सावित्री यादव को उठाकर पटक दिया गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। उपचार हेतु उन्हें बीएचयू वाराणसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
उक्त सूचना के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 125/2026 धारा 3(5)/115(2)/105 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 उमाशंकर यादव द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तारी का विवरण –
श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.04.2026 को उ0नि0 उमाशंकर यादव मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त रोहित यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम हैबतपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को लाहीडीह फुटहिया गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय करीब 11:45 बजे कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।
पूछताछ का विवरण –
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए अपनी सफाई माननीय न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही गई।
पंजीकृत अभियोग –
मु0अ0सं0 125/2026 धारा 3(5)/115(2)/105 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
अपराधिक इतिहास –
• मु0अ0सं0 125/2026 धारा 3(5)/115(2)/105 बीएनएस
गिरफ्तार अभियुक्त –
• रोहित यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव, उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम हैबतपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
बरामदगी –
निल
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –
• उ0नि0 उमाशंकर यादव
• का0 आलोक सिंह
• का0 जितेन्द्र कुमार यादव

प्रेस नोट
थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

• दहेज हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
• बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप
• पति सहित ससुराल पक्ष पर हत्या कर फांसी का रूप देने का आरोप

घटना का विवरण –

दिनांक 04.04.2026 को वादिनी सबनम पत्नी अल्ताफ अहमद निवासी पठान टोला सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री साहेवा की शादी दिनांक 20.11.2022 को अफताब पुत्र अली अहमद निवासी हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के साथ दान-दहेज देकर की गई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा कम दहेज का ताना देते हुए बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी तथा पीड़िता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

दिनांक 03.04.2026 को समय लगभग 02:00 बजे अभियुक्त अफताब (पति), सादिका (सास), एकलाख (जेठ), असफाक (जेठ) व तब्बू (ननद) द्वारा एक राय होकर साहेवा की हत्या कर शव को दुपट्टे से लटका कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 81/2026 धारा 85, 80(2), 352 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.04.2026 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह क्षेत्र में तलाश वांछित में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण से संबंधित अभियुक्त अफताब फरहाबाद क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अफताब अहमद पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए समय करीब 08:50 बजे हिरासत में लिया गया तथा नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 81/2026 धारा 85, 80(2), 352 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

- अफताब अहमद पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

- थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह
- का0 अजय जायसवाल
- का0 अनिल गुप्ता
- म0का0 गरिमा सिंह

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

- **रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अवैध तमंचा व कारतूस के साथ दबोचे गए दोनों आरोपी**
- **आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत**

घटना/गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 04.04.2026 की रात्रि में उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान इसहाकपुर तम्मरपुर पुलिया के पास दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का

संकेत देने पर दोनों घबरा कर वाहन रोक दिए गए। तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम गौरव उर्फ गौरी पुत्र राम राकेश राजभर निवासी ग्राम भदेठी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर बताया, जिसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ।

मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मो0 सैफ पुत्र सलाउद्दीन निवासी ग्राम भदेठी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर बताया, जिसकी तलाशी में दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। अभियुक्तों के पास उक्त शस्त्र/कारतूस रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। इस पर दोनों अभियुक्तों को समय करीब 23:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 116/2026 धारा 09/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. गौरव उर्फ गौरी पुत्र राम राकेश राजभर निवासी ग्राम भदेठी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर
2. मो0 सैफ पुत्र सलाउद्दीन निवासी ग्राम भदेठी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरण –

• एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर (अभि0 गौरव के कब्जे से)

• दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभि0 मो0 सैफ के कब्जे से)

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 116/2026 धारा 09/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

गौरव उर्फ गौरी

1. मु0अ0सं0 153/25 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना खेतासराय जनपद जौनपुर
2. मु0अ0सं0 113/25 धारा 115(2), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर
3. मु0अ0सं0 116/2026 धारा 09/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

मो0 सैफ

1. मु0अ0सं0 116/2026 धारा 09/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

• उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल

• का0 सुनील कुमार सरोज

• का0 भूपेन्द्रनाथ मिश्रा

• का0 राजेन्द्र कुशवाहा

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

• फर्जी रसीद बनाकर विद्युत बिल की धनराशि हड़पने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

• उपभोक्ताओं से पैसा लेकर जमा न कर देने का आरोप

• मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबोचा गया अभियुक्त

घटना का विवरण –

वादी श्री दिलीप कुमार, अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र भंवरनाथ/एल०टी० विद्युत उपकेन्द्र बदरका जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि मेसर्स फिल्टेक कलेक्शन एजेंसी के

एजेंट राहुल राय द्वारा उपभोक्ताओं से विद्युत बिल जमा करने के नाम पर धनराशि प्राप्त कर ली जाती थी तथा उपभोक्ताओं को फर्जी रसीद प्रदान कर दी जाती थी। जांच में कई उपभोक्ताओं से लाखों रुपये की धनराशि लेने का मामला प्रकाश में आया, जिनका भुगतान विभाग में जमा नहीं किया गया।

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 83/2026 धारा 318(4), 336(3), 338 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसमें बाद में धारा 316(5) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में म0उ0नि0 शशि सिंह मय हमराह उ0नि0 रविन्द्र यादव व का0 राजन कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राहुल राय को दिनांक 04.04.2026 को समय 17:50 बजे एलटी विद्युत उपकेन्द्र बदरका तिराहा से पहाड़पुर मार्ग थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण –

राहुल राय पुत्र राजेश राय निवासी नगसर थाना नगसरहाल्ट जनपद गाजीपुर, हाल पता मोहल्ला मिश्र बाजार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 83/2026 धारा 318(4), 336(3), 338 बीएनएस (वृद्धि धारा 316(5) बीएनएस) थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

• म0उ0नि0 शशि सिंह
• उ0नि0 रविन्द्र यादव
• का0 राजन कुमार

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

<u>प्रेस नोट</u>

<u>जनपद आज़मगढ़</u>

<u>□ मेटा के अलर्ट पर 08 मिनट में पहुंचकर आज़मगढ़ पुलिस ने 19 वर्षीय युवती की बचायी जान</u>

<u>□ आत्महत्या संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई से टली बड़ी घटना</u>

<u>□ मेटा सुसाइडल अलर्ट व्यवस्था के अंतर्गत अब तक 2427 व्यक्तियों के जीवन की हो चुकी है रक्षा</u>

➡□दिनांक 03.04.2026 को जनपद आज़मगढ़ के थाना सिधारी क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती द्वारा पारिवारिक विवाद के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव के चलते इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें उसने अत्यधिक मात्रा में दवाइयाँ खा ली थीं। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 03.04.2026 को रात्रि 10:18 बजे मेटा कम्पनी की ओर से सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के माध्यम से अलर्ट प्राप्त हुआ।

➡□उक्त अलर्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उपलब्ध मोबाइल नंबर के आधार पर युवती की लोकेशन ट्रेस कर जनपद आज़मगढ़ पुलिस को सूचित किया गया। सूचना प्राप्त होते ही थाना सिधारी पुलिस टीम द्वारा मात्र 08 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचकर बेहोश हो चुकी युवती को परिजनों के सहयोग से तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया।

➡ स्वास्थ्य लाभ के उपरांत युवती ने बताया कि पारिवारिक विवाद एवं अकेलेपन की भावना के कारण वह मानसिक रूप से अत्यधिक आहत हो गई थी, जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस टीम द्वारा युवती की काउंसलिंग भी की गई, जिस पर उसने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का आश्वासन दिया।

➡ युवती के परिजनों द्वारा समय रहते की गई पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

➡ इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि—
"सोशल मीडिया पर प्राप्त ऐसे संवेदनशील अलर्ट पर आज़मगढ़ पुलिस पूर्ण तत्परता के साथ तत्काल कार्रवाई करती है। समयबद्ध रिस्पॉन्स के कारण एक 19 वर्षीय युवती का जीवन सुरक्षित किया जा सका, जो पुलिस की जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता दोनों का उदाहरण है। आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी की स्थिति में अपने परिजनों एवं पुलिस से संपर्क करें, पुलिस हर संभव सहायता के लिए सदैव तत्पर है।"

➡ उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य वर्ष 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट के संबंध में मेटा कम्पनी द्वारा पुलिस को अलर्ट भेजा जाता है।

➡ दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2026 तक प्राप्त अलर्ट के आधार पर कुल 2427 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

➡ उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की इस महत्वपूर्ण पहल के लिए SKOCH Award-2025 एवं The Economic Times GovTech Awards-2026 से सम्मानित भी किया जा चुका है।